This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 27 सितम्बर, 2023 / 05 आश्विन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला 171002, 17 सितम्बर, 2023

संख्याः स्वास्थ्य–ए–एफ (5) 2/2022.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जन्म और मृत्यु रजिट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एच एफ डब्ल्यू–बी– (ए) 2–1 / 94–वाल्यूम–, तारीख 31 जनवरी, 2003 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 17 मई, 2003 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिट्रीकरण नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात :——

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश रजिस्ट्रीकरण (प्रथम संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 10 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिट्रीकरण नियम ,2003 के नियम 10 के उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः——

''(1) यदि किसी बालक का जन्म किसी नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो तो ऐसे बालक के माता –पिता या संरक्षक रजिस्ट्रार को बालक के नाम के सम्बन्ध में मौखिक या लिखित सूचना बालक के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से बारह मास के भीतर देगा ;

परन्तु यदि सूचना उपर्युक्त बारह मास की अवधि के पश्चात किन्तु पन्द्रह वर्ष की अवधि के भीतर दी जाती है जिसकी गणना निम्न रूप में की जाएगी ;

(i) (क) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, मूल नियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व किया गया था, वहां इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी ;

या

(ख) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, मूल नियम के प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात किया गया हो और रजिट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि पहले ही व्यपगत हो चुकी हो तो उन्हें इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि दी जाएगी। उन मामलों की बाबत, जहां रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि अभी तक व्यपगत नहीं हुई है, वहां उन्हें पंद्रह वर्ष की अवधि का उपयोग करना अनुज्ञात किया जाएगा ;

या

(ii) ऐसे मामले में, जहां रजिस्ट्रीकरण, इन नियमों के प्रारम्भ होने की तारीख के पश्चात किया गया हो, वहां धारा 23 की उपधारा (4) के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह वर्ष की अवधि, रजिस्ट्रार–

(क) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में है, तो पांच रुपये की विलम्ब फीस के संदाय किए जाने पर तुरन्त जन्म रजिस्टर में सम्बद्ध प्ररूप के सुसंगत स्तम्भ में नाम दर्ज करेगा ।

(ख) यदि रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है और यदि सूचना मौखिक रूप में दी जाती है, तो आवश्यक विशिष्टियां देते हुए रिपोर्ट करेगा, और यदि सूचना लिखित रूप में दी जाती है तो उसे पांच /रुपये की विलम्ब फीस का संदाय किए जाने पर आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को अग्रेषित करेगा ''।

आदेश द्वारा,

सचिव (स्वास्थ्य)।

[Authoritative English text of this Department Notification No- Health-A-F(5)2/2021-Loose, dated 17-09-2023 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 17th September, 2023

No. Health-A-F(5)2/2022.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act No. 18 of 1969), the Governor, Himachal Pradesh, with the approval of the Central Government, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003 Notified *vide* this Department Notification No. HFW-B(A)2-1/94-Vol-II, dated the 31st Janbary, 2003, and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated: 17th May, 2003, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths (1st Amendment) Rules, 2023.

(2) These rules shall come into force from the date of Publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 10.—For sub-rule (1) of rule 10 of the Himachal Pradesh Registration of Births and Deaths Rules, 2003 the following shall be substituted, namely:

"(1) Where the birth of any child had been registered without a name, the parent or guardian of such child shall, within 12 months from the date of the birth of child, give information regarding the name of the child to the registrar either orally or in writing:

Provided that if the information is given after the aforesaid period of 12 months, which shall be reckoned,

(i) (a) in case where the registration had been made prior to the date of commencement of the principal rule, further 5 years period from the date of Commencement of these rules shall be given.

OR

(b) in case where the registration had been made after the date of commencement of the principal rule and 15 years period from date of registration has already been lapsed, they shall also be given 5 years period from the date of commencement of these rules. In respect of those cases, where 15 years period from the date of registration has not yet been lapsed, they shall be allowed to avail the 15 years period.

OR

(ii) in case where the registration is made after the date of commencement of these rules, the period of 15 years from the date of such registration, subject to the provisions of sub-section (4) of section 23, the Registrar shall:—

(a) if the register is in his possession forthwith enter the name in the relevant column of the concerned form in the birth register on payment of a late fee of rupees five.

OR

(b) if the register is not in his possession and if the information is given orally, make a report giving necessary particulars, and if the information is given in writing, forward the same to the officer specified by the State Government in this behalf for making the necessary entry on payment of a late fee of rupees five".

By order,

Secretary (Health).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2023

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose.—In partial modification to this Department's Notification dated 26-07-2023 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 03-08-2023 regarding appointment of Official Members of Special Area Development Authority (SADA) Kaza, District Lahaul & Spiti, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Special Area Development Authority (SADA) Kaza, District Lahaul and Spiti as mentioned below with immediate effect:—

1.	Sh. Ravi Thakur, Hon'ble MLA, Lahaul & Spiti	..	*Chairman*
2.	Additional Deputy Commissioner, Kaza	..	*Member Secretary*
3.	Executive Engineer, HPPWD, Kaza	..	*Member*
4.	Executive Engineer (National Highway), L&S	..	*Member*
5.	Executive Engineer (I&PH), Kaza	..	*Member*
6.	Executive Engineer (HPSEB), Kaza	..	*Member*
7.	Divisional Forest Officer (Kaza)	..	*Member*
8.	Assistant Town Planner (Rampur)	..	*Member*

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2023

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose.—In partial modification to this Department's Notification dated 26-07-2023 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 03-08-2023 regarding appointment of Official Members of Special Area Development Authority (SADA) Keylong, District Lahaul & Spiti, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Special Area Development Authority (SADA) Keylong, District Lahaul and Spiti as mentioned below with immediate effect:—

1.	Sh. Ravi Thakur, Hon'ble MLA, Lahaul & Spiti	..	*Chairman*
2.	SDO (Civil), Keylong	..	*Member Secretary*
3.	Executive Engineer, HPPWD, Udaipur	..	*Member*
4.	Executive Engineer (BRO), 70 RCC, Keylong	..	*Member*
5.	Executive Engineer (I&PH), Keylong	..	*Member*
6.	Executive Engineer (HPSEB), Keylong	..	*Member*
7.	Divisional Forest Officer (Keylong)	..	*Member*
8.	Town and Country Planner (Kullu)	..	*Member*

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2023

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose .—In partial modification to this Department's Notification dated 26-07-2023 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 03-08-2023 regarding appointment of Official Members of Special Area Development Authority (SADA) Udaipur, District Lahaul & Spiti, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Special Area Development Authority (SADA) Udaipur, District Lahaul and Spiti as mentioned below with immediate effect:—

1.	Sh. Ravi Thakur, Hon'ble MLA, Lahaul and Spiti	..	*Chairman*
2.	SDO (Civil), Udaipur	..	*Member Secretary*
3.	Executive Engineer, HPPWD, Udaipur	..	*Member*
4.	Executive Engineer (BRO), 94 RCC, Udaipur	..	*Member*
5.	Executive Engineer (I&PH), Udaipur	..	*Member*
6.	Executive Engineer (HPSEB), Keylong	..	*Member*
7.	Divisional Forest Officer (Keylong)	..	*Member*
8.	Town and Country Planner (Kullu)	..	*Member*

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2023

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose .—In partial modification to this Department's Notification dated 26-07-2023 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 03-08-2023 regarding appointment of Official Members of Special Area Development Authority (SADA) Sangla-Kamru, District Kinnaur, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Special Area Development Authority (SADA) Sangla-Kamru, District Kinnaur as mentioned below with immediate effect:—

1.	Sh. Jagat Singh Negi, Hon'ble Revenue Minister	..	*Chairman*
2.	SDO (Civil), Reckong-Peo	..	*Member Secretary*
3.	Executive Engineer, HPPWD, Bhawanagar	..	*Member*
4.	Executive Engineer (National Highway), Rampur	..	*Member*
5.	Executive Engineer (I&PH), Reckong-Peo	..	*Member*
6.	Executive Engineer (HPSEB), Reckong-Peo	..	*Member*
7.	Divisional Forest Officer (Reckong-Peo)	..	*Member*

8. Assistant Town Planner (Rampur) .. *Member*

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th September, 2023

No. TCP-F(5)-4/2002-Loose .—In partial modification to this Department's Notification dated 26-07-2023 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 03-08-2023 regarding appointment of Official Members of Special Area Development Authority (SADA) Reckong-Peo, District Kinnaur, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Special Area Development Authority (SADA) Reckong-Peo, District Kinnaur as mentioned below with immediate effect:—

1. Sh. Jagat Singh Negi, Hon'ble Revenue Minister .. *Chairman*
2. SDO (Civil), Reckong-Peo .. *Member Secretary*
3. Executive Engineer, HPPWD, Kalpa .. *Member*
4. Executive Engineer (National Highway), Rampur .. *Member*
5. Executive Engineer (I&PH), Reckong-Peo .. *Member*
6. Executive Engineer (HPSEB), Reckong-Peo .. *Member*
7. Divisional Forest Officer (Reckong-Peo) .. *Member*
8. Assistant Town Planner (Rampur) .. *Member*

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (TCP).

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्मा नं0 : दिनांक : 11–09–2023

1. श्री खेम राज पुत्र श्री देवी राम, गांव जरवाला, डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

2. श्रीमती चुड़ामणी पुत्री श्री लाल चन्द, गांव व डाकघर चकुरठा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

प्रार्थीगण ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि प्रार्थीगण ने दिनांक 09–11–2021 को अपनी शादी हसब रिवाज मुल्क व कौम से कर ली है। वे इस शादी का इन्द्राज गलती से कहीं दर्ज नहीं करवा सके हैं और अब वे अपनी शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहते हैं।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण श्री खेम राज व श्रीमती चुड़ामणी की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत गोपालपुर, विकास खण्ड बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 11–10–2023 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत शादी की तिथि 09–11–2021 का इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–09–2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
उप–मण्डल दण्डाधिकारी
एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Vikas Shukla H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Lobsang Gyatso s/o Parchoe, r/o Ward No. 9, Near TCV Days School, Hanumani Bagh, P.O. Dhalpur, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

2. Tenzin Yangkeyi d/o Sonam Topgyal, r/o Kamleshwarpur, Tehsil Sitapur, Distt. Surguja, Chattisgarh at present r/o Ward No. 9, Near TCV Days School, Hanumani Bagh, P.O. Dhalpur,Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Lobsang Gyatso and Tenzin Yangkeyi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 03-06-2005 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-10-2023. The objection received after 13-10-2023 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-09-2023 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

(VIKAS SHUKLA, HAS),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushahr, District Shimla (H. P.)

1. Sh. Santosh Kumar s/o Sh. Mohar Singh, r/o Village Karalta, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, the above named applicant have preferred an application before me alongwith relevant records and affidavits stating therein that his deceased sister namely Svitru Devi d/o Mohar Singh, Village Karalta, P.O. & Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh has died on 15-07-1993 in Village Karalta, P.O. & Tehsil Nankhari, but due to some un-avoidable circumstances, the date of death & entry of death could not be entered in the records of Gram Panchayat Karangla, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh. Now, the applicant has requested to enter the name and the date of death of his deceased sister in birth and death register of Gram Panchayat Karangla, Tehsil Nankhari, District Shimla, Himachal Pradesh.

Now, therefore objections are invited from the general public that if, anyone has any objection regarding to enter her date of death mentioned above, they should appear before the undersigned on or before 15-10-2023 either personally or through their authorized agent/pleader.

In the event of their failure to do so, order shall be passed ex-parte without affording any further opportunity of being heard.

Issued today on 16th day of the September, 2023 under my hand and seal of the Court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,
Rampur Bushahr, District Shimla (H.P.).

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 09 / 23 तारीख दायर : 29—03—2023

श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कृष्ण दास उपनाम जय कृष्ण, गांव शमकोर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता / खतौनी नं0 30/76, ता 76, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—22—42 है0, खसरा नं0 1083, महाल क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कृष्ण दास उपनाम जय कृष्ण, गांव शमकोर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि खाता / खतौनी नं0 30/76, ता 76, कित्ता 2, रकबा तादादी 00—22—42 है0, खसरा नं0 1083, महाल क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) के खाना मालिक में कर्म चन्द पुत्र डोली राम बिला सिफत इन्द्राज है। प्रार्थी जिसके स्थान पर अपना कब्जा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में कर्म चन्द पुत्र डोली राम के बजाये प्रार्थी का कब्जा दुरुस्त / दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17—10—2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री जय चन्द, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 : 10 / 23 तारीख दायर : 29—03—2023

श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कृष्ण दास उपनाम जय कृष्ण, गांव शमकोर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

दरख्वास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता / खतौनी नं0 9/22, ता 24, कित्ता 17, रकबा तादादी 00—99—48 है0, खसरा नं0 613, 614, महाल उप—महाल जघोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरख्वास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थी श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री कृष्ण दास उपनाम जय कृष्ण, गांव शमकोर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि खाता / खतौनी नं0 9/22, ता 24, कित्ता 17, रकबा तादादी 00—99—48 है0, खसरा नं0 613, 614, महाल उप—महाल जघोरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0) के खाना काबिज में प्रभू पुत्र कुरमू व भगत राम पुत्र कुरमू दर्ज बिला सिफत इन्द्राज है। प्रार्थी जिसके स्थान पर अपना कब्जा दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में प्रभू पुत्र कुरमू व भगत राम पुत्र कुरमू के बजाये प्रार्थी का कब्जा दुरुस्त / दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 17—10—2023 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्रीमती विद्या देवी पुत्री धन्नू पुत्र राजू, वासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)
. . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख थेह, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 344, 346, 345, खतौनी नं0 455, 457, 456, जमाबन्दी साल 2016—17 महाल थेह, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्रीमती विद्या देवी पुत्री धन्नू पुत्र राजू, वासी नंगल खुर्द, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल थेह जमाबन्दी साल 2016—17 में प्रार्थिया का नाम श्रीमती विनोद कुमारी पुत्री धन्नू गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थिया का नाम श्रीमती विनोद कुमारी पुत्री धन्नू पुत्र राजू की बजाये श्रीमती विद्या देवी पुत्री धन्नू पुत्र राजू महाल थेह में सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20—10—2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित

तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 19—09—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री सन्तोष राम पुत्र नन्दू पुत्र राम दिता, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल टाहलीवाल निचला, जमाबन्दी साल 2020—21, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

श्री सन्तोष राम पुत्र नन्दू पुत्र राम दिता, वासी नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सन्तोष पुत्र नन्दू पुत्र राम दिता गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम सन्तोष पुत्र नन्दू, पुत्र राम दिता की बजाये सन्तोख राम पुत्र नन्दू, पुत्र राम दिता सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 04—10—2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 19—09—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

—————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री चरण सिंह पुत्र बुध सिंह, वासी कांटे, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख भदौडी, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 मिन 549, खतौनी नं0 मिन 787, जमाबन्दी साल 2019—20 महाल भदौडी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

श्री चरण सिंह पुत्र बुध सिंह, वासी कांटे, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड महाल भदौडी जमाबन्दी साल 2019—20 में प्रार्थी का नाम गुरवचन सिंह धर्म पुत्र बुध सिंह गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम गुरवचन सिंह धर्म पुत्र बुध सिंह की बजाये चरण सिंह धर्म पुत्र बुध सिंह महाल भदौडी में सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20—10—2023 को प्रातः 10.00 बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर / एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 19—09—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)

रमनदीप सिंह पुत्र हरप्रसाद पुत्र हाकम राये, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त बमुराद दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना, खेवट नं0 723, 724, 725, 726, 731, खतौनी नं0 1016, 1017, 1018, 1019, 1024, जमाबन्दी साल 2018—19 महाल ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

रमनदीप सिंह पुत्र हरप्रसाद पुत्र हाकम राये, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दुरुस्ती नाम प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम रमनदीप पुत्र हरप्रसाद पुत्र हाकम राये गलत दर्ज किया गया है। अतः प्रार्थी का नाम रमनदीप पुत्र हरप्रसाद पुत्र हाकम राये की बजाये रमनदीप सिंह पुत्र हरप्रसाद पुत्र हाकम राये वासी ललड़ी में सही दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार अखबार / नोटिस मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 20—10—2023 को प्रातः 10.00

बजे से पहले अपना उजर लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर/एतराज इस न्यायालय में प्राप्त न हुआ तो यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबिले समायत न होगा व न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस सन्दर्भ में फैसला सुनाया जाएगा।

आज दिनांक 19—09—2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी दुलैहड़, उप—तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)

(नोटिस : जेरे आदेश 13, नियम 3, सी0पी0सी0)

श्रीमती आरती बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती आरती पुत्री मूल राज, वासी महाल दुलैहड़, उप—तहसील दुलैहड़, जिला ऊना ने इस अदालत में आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म गांव दुलैहड़ में 28—10—1992 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत अभिलेख में अज्ञानता के कारण उसके माता—पिता द्वारा जन्म पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने की नियमानुसार कार्यवाही की जानी है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह स्वयं दिनांक 17—10—2023 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन/वकालतन हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का उजर/एतराज मान्य न होगा तथा उपरोक्त जन्म पंजीकरण करने के आदेश नियमानुसार पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक .... को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी अधिकारी,
उप—तहसील दुलैहड़, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Balwant Singh, r/o Village Lohana, P.O. Bandla, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) has changed my daughter's name from Rashika to Rashika Bhatia.

BALWANT SINGH
r/o Village Lohana, P.O. Bandla,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Shaminder Gupta, born 16-07-1961, s/o Late Sh. Balak Ram Gupta, presently residing at Flat No. 1, Ground Floor, Amit Avenue, Ward No. 12, Near Amit Apartment, Above Sainik Rest House Solan (H.P.)-173212 do hereby solemnly affirm and declare as under: That my Educational Certificates *i.e.* Higher Secondary Part I, Higher Secondary Part II, Bachelor of Commerce Degree, PGDBM and CAIIB bear my name as Shaminder Kumar Gupta. However, my Voter's Card, PAN, Aadhaar have my name entered as Shaminder Gupta. I shall hereafter be known as Shaminder Gupta for all intents and purposes.

SHAMINDER GUPTA
s/o Late Sh. Balak Ram Gupta,
presently residing at
Flat No. 1, Ground Floor, Amit Avenue,
Ward No. 12, Near Amit Apartment,
Above Sainik Rest House, Solan (H.P.)-173212.

CHANGE OF NAME

I, Rohika Verma, w/o Sh. Jitender Kumar, r/o Brij Villa, Near S.B.I. Bank, P.O. & Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.) declare that before marriage my name was Rohika Bhatt, after marriage my name is Rohika Verma, Rohika Bhatt and Rohika Verma are names of the same person. Please, all concerned note.

ROHIKA VERMA
w/o Sh. Jitender Kumar,
r/o Brij Villa, Near S.B.I. Bank,
P.O. & Tehsil Kandaghat, Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Reena Kumari w/o Dheeraj Thakur, r/o V.P.O. Gagret, Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.) declare that I have changed my surname from Reena Kumari to Reena Thakur. Concerned note.

REENA KUMARI
w/o Dheeraj Thakur,
r/o V.P.O. Gagret,
Tehsil Ghanari, Distt. Una (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।